उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–3
संख्या–108/2021/2499/26–3–2021–4(358)/07 टी.सी.–।।।
लखनऊ : दिनांकः– 21 सितम्बर, 2021
कार्यालय–ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–84/2016/आर–755/26–3–2016–4 (358)/07, टी.सी.–।।, दिनांक–14.04.2016 एवं अन्य संशोधनों के द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली" को सम्यक्विचारोपरांत समेकित एवं संशोधित करते हुये निम्नानुसार प्रख्यापित किया जाता हैः–

क.सं.	वर्तमान नियम		प्रतिस्थापित नियम	
1	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2016 (नवम संशोधन सहित) कहलायेगी।	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (दशम संशोधन) नियमावली–2021 कहलायेगी।
2	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब माता–पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब माता–पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3	प्रसार/ विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्रायें आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हों।	प्रसार/ विस्तार	यथावत
4	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान 2016–17 शिक्षण सत्र से लागू होंगे।	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान 2021–22 शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5	परिभाषा		परिभाषा	
	i– केन्द्र सरकार	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।	केन्द्र सरकार	यथावत
	ii– राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।	राज्य सरकार	यथावत
	iii–अभ्यर्थी	"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।	अभ्यर्थी	यथावत
	(IV) निदेशालय	"निदेशालय" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।		यथावत
	(V) निदेशक	"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से है।		यथावत
	(VI) वित्त नियन्त्रक	"वित्त नियन्त्रक" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।		यथावत
	(VII) नोडल अधिकारी	"नोडल अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी से है।		यथावत

	(VIII) राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार	"राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार" का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है।		यथावत
	IX- शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।	शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	यथावत
	X- अनुसूचित जाति	"अनुसूचित जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–341 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।	अनुसूचित जाति	यथावत
	XI- अनुसूचित जनजाति	"अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–342 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।	अनुसूचित जनजाति	यथावत
	XII –बैंक	"बैंक" का तात्पर्य बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं **NEFT/RTGS** के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो तथा संबंधित बैंक पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकृत हों।	बैंक	यथावत
	XIII– शैक्षणिक सत्र	"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।	शैक्षणिक सत्र	"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य कक्षा 11–12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।
	XIV-छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियॉ सम्मिलित होगीः– (क) अनुरक्षण भत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्ययन दौरा खर्च (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च (च) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।	छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियॉ सम्मिलित होगीः– (क) शैक्षणिक भत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाला शुल्क जिसका निर्धारण केन्द्र/राज्य सरकार अथवा प्रदेश की शुल्क नियमन समिति द्वारा तय किया गया हो (ग) दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित शैक्षणिक भत्ते का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
	XVII- शुल्क	(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत	शुल्क	यथावत

	शासनादेश संख्या–148/2018 /2063/26–3–2 018–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। नोटः–1– राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्रायें इस योजना में अपात्र होंगे। नोटः–2– किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।		
		(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।		यथावत
	शासनादेश संख्या–10/2017 /आर–5959/26 –3–2016–4(358) /07 टी0सी0–II दिनांक 10 जनवरी, 2017 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा संशोधित	(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित नहीं हैं, के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क की प्रतिपूर्ति जो कम हो, की जायेगी।		यथावत
		(घ) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।		यथावत
	शासनादेश संख्या–101/2017	नियम–5 (ड़) तकनीकी/प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिनकी		विलोपित

	/आर–1614/26–3–2017–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	फीस, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति निर्धारित नहीं करती है उन पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के समकक्ष पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।		
		(च) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान–रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान–रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।		(च) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान–रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान–रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के आधार लिंक बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।
	शासनादेश संख्या–10/2017/आर–5959/26–3–2016–4(358)/07 टी0सी0–II दिनांक 10 जनवरी, 2017 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा संशोधित अनुमन्य शुल्क के अभिलेखों का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण	(छ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा–तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिए शुल्क निर्धारित किया जाता है यदि किसी वर्ष विशेष में आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस का भुगतान किया जायेगा।		(छ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा–तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ज) किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयो, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सक्षम स्तर से निर्धारित अनुमन्य शुल्क के विवरण का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।		यथावत
6	अर्हता	छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:– (I) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी	अर्हता	छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:– (I) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/

		हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापिः– (अ) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।		अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापिः– (अ) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
	शासनादेश संख्या–148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क– विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख–निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग– ट्रेनिंगशिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ– सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यकम। च– अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ– पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। (केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधा अनुमन्य रहेगी) ज– निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग बाडी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।		यथावत
		(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।		यथावत
		(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ–इण्टर आर्टस् करने के बाद इण्टर साईंस करने लगें या बी0ए0 करने के बाद बी0काम करने लगें, या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगें।		यथावत
	शासनादेश संख्या–148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा	(v) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल व परास्नातक लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।		(v) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक उपरांत स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल, परास्नातक के उपरांत रिसर्च लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

	संशोधित			
		(vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुद्देशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वीं कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वीं कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।		यथावत
		(vii) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहें हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/ हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।		यथावत
		(viii) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।		यथावत
		(ix) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।		यथावत
		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण–पत्र/ डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/ प्रोन्नत होना अनिवार्य होगा।
		(xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता–पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।		यथावत
		(xii) एक ही माता–पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।		यथावत
		(xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/ वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे		यथावत

		सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/ करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।		
		(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहें हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।		यथावत
		(xv) जब तक माता–पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता–पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतो से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता–पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता–पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय–सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्ते पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।		यथावत
	शासनादेश संख्या–10/2017 /आर–5959/26 –3–2016–4(358) /07 टी0सी0–II दिनांक 10 जनवरी, 2017 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा संशोधित	(xvii) यदि कोई छात्र विगत वर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रुप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम		(xvi) यदि कोई छात्र विगत वर्ष शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रुप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।

		परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।		
	शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	(xviii) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी।		(xvii) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बेस उपस्थिति प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होगी।
	शासनादेश संख्या–148/2018 /2063/26–3–2 018–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	(xix) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/पाठ्यक्रम को सक्षम स्तर से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता है तो गत वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी। किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।		(xviii) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/पाठ्यक्रम को सक्षम स्तर से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता है तो गत वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी। किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।
	शासनादेश संख्या–148/2018 /2063/26–3–2 018–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	(xx) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनायें/ कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।		(xix) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनायें/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।
	शासनादेश संख्या–222/2019 /4138/26–3–2 019–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 (नवम संशोधन) द्वारा संशोधित	6-(xxi)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरांत B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास		6-(xx)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक

		मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हें **NBA (National Board of Accreditation)** से ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।		**NBA (National Board of Accreditation)** ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 शिक्षण सत्र से **NBA (National Board of Accreditation)** ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
	शासनादेश संख्या–222/2019/4138/26–3–2019–4(358)/07 टी0सी0–**III** दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 (नवम संशोधन) द्वारा संशोधित	**6-(xxii)** निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेन्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।		**6-(xxi)** निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेन्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।
				(xxii) आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल अथवा कक्षा–8 निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल अथवा कक्षा–8 उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
7	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	यथावत
8	माता–पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य	माता–पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे:– **(i)** माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय का घोषणा पत्र देना होगा।	माता–पिता / अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य	विलोपित
		(ii) अभ्यर्थी के माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण–पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता–पिता/ पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।		यथावत

		(iii) अभ्यर्थी के माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।		यथावत
		(iv) आय प्रमाण–पत्र केवल एक बार अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय–प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण–पत्र देना होगा।		यथावत
		(v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।		
9	शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्स मास्टर	(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा– शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/नोडल/प्रभारी अधिकारी प्रदेश के बाहर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।	मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्स मास्टर	(i) (क) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा– शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष जारी समय–सारिणी में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/ नोडल/प्रभारी अधिकारी, प्रदेश के बाहर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा। (ख) मास्टर डाटा में नवीन व पुराने शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये आनलाइन डाटा को विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी (जैसा लागू हो) द्वारा सत्यापित किया जायेगा। (ग) विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से मास्टर डाटा के सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित शिक्षा विभाग यथा– उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि के विभागाध्यक्ष द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन करके संस्तुति की जायेगी। विभागाध्यक्ष स्तर से संस्तुति के उपरांत ही सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।
	शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 15 जुलाई तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 15 जुलाई के पश्चात् मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 15 जुलाई के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में		यथावत

		नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक का होगा।		
		(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान–रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।		यथावत
		(iv) जनपद में संचालित बैंक, बैंक शाखाओं तथा उनके आई0एफ0एस0 कोड का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित किया जायेगा। बैंक, बैंक शाखाओं के नाम व उनके आई0एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में शामिल कराने एवं आई0एफ0एस0 कोड की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।		विलोपित
		(v) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेगें। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगें। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।		(v) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेगें। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगें। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
		(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला		(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक, एफिलियेटिंग एजेंसियों के नोडल अधिकारियों एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा

		विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरांत उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किया जायेगा। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/ नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि को लाक किया जायेगा।		किया जायेगा तथा तदोपरांत उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। उक्त स्तर से मास्टर डाटा लॉक होने के उपरांत पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष स्तर से परीक्षणोपरान्त मास्टर डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि को लाक किया जायेगा।
10	अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें।	(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तद्नुरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट "क" में अंकित है।	अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें।	दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तद्नुरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट "क" में अंकित है।
		(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।		(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको शैक्षणिक भत्ता की दरों का 1/3 शैक्षणिक भत्ता/व्यय दिया जायेगा।
11	छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण।	(i) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। (ii) विलोपित (iii) विलोपित (iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित	छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण।	(i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आधार बेस भुगतान प्रणाली के माध्यम से एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश छात्रों को आधार लिंक बैंक खातों में भुगतानोपरान्त शेष 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि का भुगतान उन्हीं छात्रों के आधार लिंक बैंक खातों में भारत सरकार द्वारा सीधे किया जायेगा। (ii) शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अभ्यर्थी को आधार लिंक बैंक बचत खाते में सीधे अन्तरित करके दो बार में (40 प्रतिशत राज्यांश प्रदेश सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश भारत सरकार द्वारा) भुगतान की जायेगीः– (क)–केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में

वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये छात्र–छात्राओं को उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके भुगतान की जायेगीः–

(क)–केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख)–केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग)–निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें तथा राज्य विश्वविद्यालयों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

नोटः– उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र–छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र–छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी–"क" से "ग" तक जारी रहेगा।

(v) प्रत्येक वरीयता क्रम के अन्दर छात्रों का चयन विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से किया जायेगाः–

1–**(i)**– विलोपित

ii –विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के अंक

क0 सं0	विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत	वेटेज अंक
1	33% तक	2
2	33% से अधिक 45% तक	4
3	45% से अधिक 60% तक	6
4	60% से अधिक 75% तक	8
5	75% से अधिक	10

iii–समूहवार पाठ्यक्रम के अंक

क0 सं0	समूहवार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक
1	समूह–1	1
2	समूह–2	4
3	समूह–3	7
4	समूह–4	10

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्तानुसार वेटेज

अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख)–केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग)– निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें तथा राज्य विश्वविद्यालयों एवं केन्द्र व राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों (**Aided Institutions**) के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें।

नोटः– उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र–छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र– छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी–"क" से "ग" तक जारी रहेगा।

(iii) उपरोक्त वरीयताक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वरीयताक्रम में पात्रता रखने वाले छात्रों को निम्नानुसार वेटेज अंक प्रदान किये जायेंगेः–

(च)– शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इण्टर करने वाले छात्रों को।

(छ)– माता–पिता दोनों अथवा एक के अशिक्षित होने की दशा में छात्र को वरीयता।

(ज)– **SECC-2011** के अनुसार 03 या उससे अधिक वंचितीकरण (**Deprivations**) होने पर वरीयता।

क0 सं0	प्राथमिकता हेतु निर्धारित बिन्दु	वेटेज अंक
1	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इण्टर करने वाले छात्र।	10
2	ऐसे छात्र जिनके माता–पिता दोनों अशिक्षित हों।	08
3	ऐसे छात्र जिनके माता–पिता में से कोई एक अशिक्षित हो।	06
4	**SECC-2011 (Socio-Economic & Caste Census)** के सर्वे में 03 या उससे अधिक वंचितीकरण (**Deprivations**) होने पर।	04

		अंक प्रदान किया जायेगा। छात्र/छात्रा के विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम, दोनो के संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा, तदोपरान्त घटते हुये क्रम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जायेगा। 2– छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा। 3– इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (**A to Z**) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। 4– छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा। (**vi**) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रकिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अभ्यर्थियों को वितरित की जायेगी। (**i**) अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नवीनीकरण हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्तर–11 (**iv**) में वर्णित वरीयता श्रेणी के क्रम में अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। किसी वरीयता श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर बिन्दु (**v**) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। तदोपरान्त घटते हुये क्रम में वितरण किया जायेगा बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में		(**iv**) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रकिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार वरीयता के क्रम में वितरित की जायेगी। (**क**) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्तर–11 (**ii**) में वर्णित वरीयता श्रेणी के क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। किसी वरीयता श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर बिन्दु (**iii**) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। तदोपरान्त घटते हुये क्रम में वितरण किया जायेगा बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो। (**ख**) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में सर्वप्रथम अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा। (**ग**) इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (**A to Z**) क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। (**घ**) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक, आयु एवं अल्फोबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया

	शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो। (ii) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा। (iii) इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। (iv) छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फोबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा। ——————————— नोटः–(1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, प्राप्तांक/समूह के संयुक्त वेटेज, आयु, अल्फाबेटिक आधार अथवा "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय। नोटः–(2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। नोट–(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग–अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।		जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा। नोटः–(1) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, संयुक्त वेटेज अंक, आयु, अल्फाबेटिक आधार अथवा "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय। नोटः–(2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। नोट–(3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग–अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
	शासनादेश संख्या–463/26–3–2019 दिनांक 30 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित	नियम–11 (vii)– प्रत्येक वर्ष/शैक्षिक सत्र में केवल एक बार समय–सारिणी निर्गत की जायेगी। निर्गत समय–सारिणी के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नियम–11 (i) से नियम–11(vii) तक निर्धारित वरीयता के नियमों के अन्तर्गत		नियम–11 (v)– समय–सारिणी के अन्तर्गत शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नियम–11 (i) से नियम–11(iv) तक निर्धारित वरीयता के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। निर्धारित समय–सारिणी के उपरांत किसी कारणवश आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अथवा कुछ दिनों के लिए आनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला जाता है तो इस व्यवस्था के

		किया जायेगा। निर्धारित समय–सारिणी के उपरांत किसी कारणवश आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अथवा कुछ दिनों के लिए आनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला जाता है तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा उनकों विलम्बित श्रेणी मानते हुए वरीयता में सबसे नीचे रखते हुए धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त नियमों में उल्लिखित वरीयता का पालन करते हुए निर्धारित तिथि के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।		अन्तर्गत जिन छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा उनकों विलम्बित श्रेणी मानते हुए वरीयता में सबसे नीचे रखते हुए धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त नियमों में उल्लिखित वरीयता का पालन करते हुए निर्धारित तिथि के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।
12	दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रकिया एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव शासनादेश संख्या–148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07 टी0सी0–**III** दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	**(I)** इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। (क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। किन्तु निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्य व्यवस्था बाध्यकारी नहीं होगी। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी। (ख) छात्र/संस्थान/शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कापी एवं समस्त परिशिष्ट व संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर या फारवर्ड न किये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। (ग) जिन संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की विगत वर्षों की दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है उन संस्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होंगे। (घ) संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट ख) पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा। (च) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के		नियम–12 **(I)** इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। (क)–राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु भी आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार एवं ओ0टी0पी0 से प्रमाणीकरण के उपरांत आवेदन को फाइनल सब्मिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय छात्र की पात्रता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी। (ख) यथावत नियम–12 **(i)** (ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फ्रीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत शिक्षण संस्थान विभाग द्वारा छात्र के आधार लिंक बैंक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी। (घ) यथावत (च) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमावली की प्रकिया के अनुसार छात्र/छात्रा को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्रा के आधार लिंक बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से ई–पेमेन्ट (e-payment) के तहत **PFMS** (**Public Financial Management System**) के

		अन्तर्गत एवं नियमावली की प्रक्रिया के अनुसार छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई–पेमेन्ट (**e-payment**) के तहत **PFMS** (**Public Financial Management System**) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति (**reimburse**) की जायेगी। (छ) ऐसे संस्थान जिनको सक्षम प्राधिकारी स्तर से अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनमें विहित नियमों के अनुसार कुल प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने वाले संस्थानों में ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत छात्रों को इस नियमावली में प्राविधानित अनुमन्य सुविधा पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी।		माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। (छ) विलोपित
		(**II**) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रारूप पर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु सम्पूर्ण विवरण पुनः भरने के स्थान पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन/संशोधित सूचनाएं ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियां आनलाइन त्रुटि रहित भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट–'घ' के अनुसार संलग्न कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के 07 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–'छ' के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।		(**II**) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रारूप पर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु सम्पूर्ण विवरण पुनः भरने के स्थान पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन/ संशोधित सूचनाएं ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियां आनलाइन त्रुटि रहित भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट–'घ' के अनुसार संलग्न कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु तत्वर्ष के लिए जारी समय–सारिणी में निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–'छ' के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।
		(**III**) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन–पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन–पत्रों पर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी। 1–संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/ प्रधानाचार्य– अध्यक्ष 2–संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक – सदस्य 3–संस्था के वरिष्ठतम् अनु0जाति के प्राध्यापक– सदस्य		(**III**) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन–पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन–पत्रों पर शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी। 1–संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/ प्रधानाचार्य– अध्यक्ष 2–संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक – सदस्य 3–संस्था के वरिष्ठतम् अनु0जाति के प्राध्यापक– सदस्य अथवा संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में) अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का

		अथवा संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में) अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)		कोई प्राध्यापक (अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)
		(iV) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट समस्त संलग्नकों सहित, संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी परिशिष्ट "छ" के अनुसार सत्यापन प्रमाण–पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/ छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र–छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।		यथावत
		(V) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिगनेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी। 1–शिक्षण संस्थान स्तर पर:– (अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। (ब) छात्र–छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/सॉफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। 2– जनपद स्तर पर:– क– जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:– 1– समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/ पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य		(V) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिगनेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी। 1–शिक्षण संस्थान स्तर पर:– (अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। (ब) छात्र–छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/सॉफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। 2– जनपद स्तर पर:– क– जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:– 1– समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/ पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। 2–शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में। 3– जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में। 4– छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन

		सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। 2–शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में। 3– जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में। 4– छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में। बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। 6– छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सस्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित। 7– शैक्षिक संस्थावार छात्र–छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र–छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)। (ख) जनपदीय एन0आई0सी0 स्तर पर:– 1– छात्र–छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों, जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये गये डाटा का विवरण तथा बेनीफिशरी फाईल/ट्रांजेक्शन फाइल/बैंक खातों में अन्तरित छात्रवृत्ति/जंक व सस्पेक्ट डाटा का विवरण साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में।		डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में। बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। 6– शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सस्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित। 7– शैक्षिक संस्थावार छात्र–छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र–छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)। (ख) जनपदीय एन0आई0सी0 स्तर पर:– 1– छात्र–छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों, जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये गये डाटा का विवरण तथा बेनीफिशरी फाईल/ट्रांजेक्शन फाइल/बैंक खातों में अन्तरित छात्रवृत्ति/जंक व सस्पेक्ट डाटा का विवरण साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में।
		(VI) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि तक आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण पत्र धारक के नाम आदि का मिलान		**(VI)** शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित अधिकारी तथा विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि तक आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाति प्रमाण पत्र में अंकित जाति एवं

		बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाति प्रमाण पत्र में अंकित जाति एवं निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्रा के बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक/परीक्षाफल आदि का मिलान सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा उनके द्वारा एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी गयी आधिकारिक डाटा से किया जायेगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से डुप्लीकेट डाटा की छटनी कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।		निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्रा के बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक आदि का मिलान सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। नवीनीकरण के छात्रों का बोर्ड/विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक एवं परीक्षाफल का ही मिलान किया जायेगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से डुप्लीकेट डाटा की छटनी कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।
		(VII) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:– 1–जिलाधिकारी – अध्यक्ष 2–मुख्य विकास अधिकारी –उपाध्यक्ष 3–मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/ अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य 4–जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य 5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी –तकनीकी सदस्य 6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी –सदस्य 7–जिला समाज कल्याण अधिकारी –सदस्य सचिव यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करायेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय–समय पर आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।		**(VII)** जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:– 1–जिलाधिकारी – अध्यक्ष 2–मुख्य विकास अधिकारी –उपाध्यक्ष 3–मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/ अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य 4–जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य 5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी –तकनीकी सदस्य 6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी –सदस्य 7–जिला समाज कल्याण अधिकारी –सदस्य सचिव यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करायेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय–समय पर आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।
		(VIII) (1) जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र स्टेट यूनिट, लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त आनलाइन डाटा (शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा) को छात्रों के विवरण विषयक सूची की हार्ड कापी सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:– क– विलोपित ख– परीक्षणोपरान्त शुद्ध डाटा से सम्बन्धित छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से सूची व नोटशीट पर प्राप्त की जायेगी। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित छात्रों की सूची की हार्डकापी भी		**(VIII)** (1) यथावत क– परीक्षणोपरान्त शुद्ध डाटा से सम्बन्धित छात्रों की शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से सूची व नोटशीट पर प्राप्त की जायेगी। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित छात्रों की सूची की हार्डकापी भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

		जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जायेगी। ग– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से साइट पर आनलाइन उपलब्ध कराये गये सन्देहास्पद डाटा से सम्बन्धित छात्रों के विवरण विषयक सूची तथा सम्बन्धित आवेदन पत्र संलग्नकों सहित हार्डकापी में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा आवश्यक परीक्षण या आवश्यकता होने पर जांच कराकर सन्देहास्पद मामलों में अपात्र होने की स्थिति में छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अस्वीकृति प्रदान की जायेगी। समिति द्वारा अस्वीकृति छात्रों की सूची की हार्ड कापी व नोटशीट पर प्रदान की जायेगी। घ– जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हार्डकापी से करेगी तथा रेण्डमली अपने स्तर से स्थलीय जांच भी करायेगी। ड़– जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड कराये जाने तथा उसके आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन स्वीकृत करने के उपरान्त ही राज्य स्तर पर बिल बनाने की कार्यवाही की जायेगी। च– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत/संस्तुत न किये गये सभी छात्रों के सम्मुख कारणों का उल्लेख भी वेबसाईट पर अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा। छ– यही प्रकिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करने के मामले में भी अपनायी जायेगी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी। 2– जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 3– इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ही ई–पेमेन्ट के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल		ख– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से साइट पर आनलाइन उपलब्ध कराये गये सन्देहास्पद डाटा से सम्बन्धित छात्रों के विवरण विषयक सूची तथा सम्बन्धित आवेदन पत्र संलग्नकों सहित हार्डकापी में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा आवश्यक परीक्षण या आवश्यकता होने पर जांच कराकर सन्देहास्पद मामलों में अपात्र होने की स्थिति में छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अस्वीकृति प्रदान की जायेगी। समिति द्वारा अस्वीकृति छात्रों की सूची की हार्ड कापी व नोटशीट पर प्रदान की जायेगी। ग– जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हार्डकापी से करेगी तथा रेण्डमली अपने स्तर से स्थलीय जांच भी करायेगी। घ– जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कराये जाने तथा उसके आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन स्वीकृत करने के उपरान्त ही राज्य स्तर पर बिल बनाने की कार्यवाही की जायेगी। ड़– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत/संस्तुत न किये गये सभी छात्रों के सम्मुख कारणों का उल्लेख भी वेबसाईट पर अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा। च– यही प्रकिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करने के मामले में भी अपनायी जायेगी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी। 2– यथावत 3– इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से ही ई–पेमेन्ट के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 4– यथावत

		अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 4– जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।		
		6– जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण होता है या किसी पात्र अभ्यर्थी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निरस्त कराया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी।		5– जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण होता है या किसी पात्र अभ्यर्थी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निरस्त कराया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी।
		(iX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा:– 1– छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमांक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 2– छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों के जारी करने का सत्यापन एवं उसमें अंकित विवरण यथा– आय की धनराशि, प्रमाण–पत्र धारक का नाम, जाति, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 3– छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग–अलग कर पी0एफ0एम0एस0 रिस्पांस के साथ जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा। 4– छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय/ बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी गयी आधिकारिक डाटा से करा लिया जायेगा। 5– छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक नान रिफन्डेबिल शुल्क के रूप में अंकित की	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु	(iX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा:– 1– शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमांक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से यथासम्भव लाइव कराया जायेगा। 2– छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों के जारी करने का सत्यापन एवं उसमें अंकित विवरण यथा– आय की धनराशि, प्रमाण–पत्र धारक का नाम, जाति, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से यथासम्भव लाइव कराया जायेगा। 3– यथावत 4– छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय/ बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी गयी अधिकारिक डाटा *यथासम्भव लाइव* किया जायेगा। 5– यथावत

		गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क स्ट्रक्चर में अंकित शुल्क की धनराशि से कराया जायेगा। 6– नवीनीकरण के छात्रों के परीक्षाफल से संबंधित विवरण का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये गये परीक्षाफल, जिसे उनके द्वारा स्कालरशिप पोर्टल पर आधिकारिक रूप से अपलोड किया गया है, से किया जायेगा। इसी प्रकार कालेजों में नव–प्रवेशित छात्रों के इण्टर परीक्षाफल के अंकों का मिलान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/अन्य सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इण्टर परीक्षाफल से किया जायेगा।		6– नवीनीकरण के छात्रों के परीक्षाफल से संबंधित विवरण का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये गये परीक्षाफल, जिसे उनके द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अधिकारिक रूप से अपलोड किया गया है, से यथासम्भव लाइव किया जायेगा। इसी प्रकार कालेजों में–प्रवेशित छात्रों की इण्टर परीक्षाफल के अंकों का मिलान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/अन्य संबंधी परीक्षा बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इण्टर परीक्षाफल से यथासम्भव लाइव किया जायेगा।
		(X) अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उसके बचत खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई–पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष एकमुश्त किया जायेगा।		**(X)** अभ्यर्थी को अनुमन्य शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि में से 40 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में उसके आधार लिंक बैंक बचत खाते में एकमुश्त भुगतान आधार बेस प्रणाली के माध्यम से सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/ कोषागार से ई–पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** से निर्धारित प्रकियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। तद्परांत भुगतानित छात्रों को अवशेष 60 प्रतिशत की धनराशि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में उक्त प्रकिया के तहत भुगतान किया जायेगा।
		(XI) इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई–पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार अन्तरित की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।		**(XI)** इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्रा के आधार लिंक बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से ई–पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** से निर्धारित प्रकियानुसार 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि अन्तरित की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा। छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा। अवशेष 60 प्रतिशत की धनराशि छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में भेजने हेतु डाटा को भारत सरकार से शेयर किया जायेगा।
		(XII) छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई–पेमेण्ट के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।		**(XII)** छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से ई–पेमेण्ट के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** से 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि अंतरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी **PFMS (Public Financial Management System)** से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की 40 प्रतिशत धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अवशेष 60 प्रतिशत की धनराशि भारत सरकार स्तर से छात्र/छात्राओं के बैंक खातो में विहित प्रकियान्तर्गत धनराशि अंतरण की जायेगी।

		(XIII) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को **PFMS (Public Financial Management System)** साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने **PFMS** कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जवाहर भवन, कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रान्जेक्शन पर फीड करके ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी, जो **PFMS** सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी, जिसे **PFMS** द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा ट्रान्जेक्शन को अप्रूब्ड करने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन फाइल पुनः **PFMS** को प्राप्त होगी। **PFMS** द्वारा उक्त ट्रान्जेक्शन फाइल को अप्रूब्ड करते हुए ट्रेजरी लागिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात् कोषाधिकारी द्वारा ट्रान्जेक्शन फाइल अप्रूब्ड किया जायेगा, जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे जायेगा। **PFMS** साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवेलिड बेनीफिशरी जनपदों के लागिन पर रहेगी, जिसे निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर **PFMS** सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपनी डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना)/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा **PFMS** साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।		(XIII) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके छात्रवृत्ति के कुल मांग के 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि की बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को **PFMS (Public Financial Management System)** साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने **PFMS** कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय से टोकन प्राप्त कर बैंक/कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति अंतरण हेतु पी0एफ0एम0एस0 पर ट्रांजेक्शन के लिए फीड किया जायेगा। ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट होने के पश्चात **PFMS** सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी, जिसे **PFMS** द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा ट्रान्जेक्शन को अप्रूब्ड करने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन फाइल पुनः **PFMS** को प्राप्त होगी। **PFMS** द्वारा उक्त ट्रान्जेक्शन फाइल को अप्रूब्ड करते हुए ट्रेजरी/बैंक लागिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात् कोषाधिकारी/बैंक द्वारा ट्रान्जेक्शन फाइल अप्रूब्ड किया जायेगा, जिसके उपरान्त शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे जायेगा। छात्रवृत्ति की अवशेष केन्द्रांश की 60 प्रतिशत धनराशि के अंतरण की कार्यवाही भारत सरकार के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
		(XIV) एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनो अधिकारियों को संयुक्त रूप से बेनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/ कोषागार/पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।		यथावत
		(XV) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (योजना) डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित		(XV) उपरोक्त प्रयोजन हेतु कोषागार जवाहर भवन तथा भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ को नोडल ट्रेजरी/बैंक नामित किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (योजना) डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित अधिकृत संस्था से प्राप्त करेंगे।

		अधिकृत संस्था से प्राप्त करेंगे।		
		(XVI) वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेंगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक का होगा।		(XVI) वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेंगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक का होगा।
13	भुगतान व्यवस्था	(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।	भुगतान व्यवस्था	यथावत
		(ii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की मॉग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक कोषागार से ई–पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी (योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।		(ii) निदेशालय में योजना के नोडल अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की मॉग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषागार से **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी (योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।
		(iii) उक्तानुसार आन लाइन सृजित मॉग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई–पेमेण्ट **(e-payment)** प्रक्रिया के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई–पेमेण्ट **(e-payment** के तहत **PFMS (Public Financial**		(iii) उक्तानुसार आनलाइन सृजित मॉग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार/बैंक से **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खोले गये खाते में वापस प्राप्त धनराशि जमा होगी। ट्रान्जेक्शन फेल्ड/अवितरित बैंक को वापस प्राप्त धनराशि को विभाग द्वारा शासन की अनुमति के उपरांत पुनः उन्हीं छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अंतरण की कार्यवाही की जायेगी। पुनः ट्रान्जेक्शन फेल्ड होने

		Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निधारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। **PFMS (Public Financial Management System)/** बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।		पर अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना)/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा। **PFMS (Public Financial Management System)**/बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।
		(**iv**) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग/कोषागार द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।		(**iv**) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग/कोषागार द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।
		(**v**) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।		(**v**) शैक्षणिक भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली मार्च, 2021 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष हेतु निर्धारित दर पर देय होंगे।
		(**vi**) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दी जायेगी, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान की गयी थी।		विलोपित
14	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(**i**) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(**i**) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण/ प्रोन्नत होकर उच्चतर कक्षा में पहुँचता रहे।

		विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुचता रहे। समूह–2, 3 एवं 4 में किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।		
		(ii) किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा, जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता है।		यथावत
		(iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा/अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके (संस्था के प्रमुख) द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।		यथावत
		(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।		यथावत
		(v) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।		यथावत
15	छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें	(I) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे–हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।	छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें	यथावत
	अनियमिततायें पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता	(ii) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध जांचोपरान्त निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के	अनियमिततायें पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को	(ii) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों तथा विभागीय/अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध जांचोपरान्त नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से

	निरस्त कराना।	नोडल अधिकारियों आदि के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। 1– मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर। 2–शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर। 3–शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर। 4–छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता–पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 5– छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर। 6– छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 7–छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/ शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर। 8–जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर। 9–जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने पर।	काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।	भू–राजस्व की भांति जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही शासन/निदेशालय द्वारा की जायेगी। 1– मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर। 2–शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर। 3–शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर। 4–छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता–पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 5– छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर। 6– छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 7–शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/ हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर। 8–जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शाकर शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर। 9–जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने पर। 10–शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरांत छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के उपरांत धनराशि वापस न करने पर।
	शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–**III** दिनांक 23 जून,	**(iv)** छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक		**(iii)** छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है, किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

	2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है, किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।		यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।
	16 (i) छात्र/छात्राओं के दायित्व	सामान्य जानकारी हासिल करना :– 1– प्रिन्ट किये गये नमूना आवेदन पत्र पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही–सही भर लें ताकि आनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहे। 2– आनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां भी अंग्रेजी अंक पद्धति में अंकित की जानी है। 3– प्रविष्टियां भरने में स्पेशल कैरेक्टर यथा– **#, $, %, ^, &, *, (), -, =** इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।		यथावत
	(ii) आनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करनाः–	1– प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** के माध्यम से आंनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।		1–प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** के माध्यम से आंनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
		2– रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियों वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही–सही भरें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।		यथावत
		3– रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जेनरेट होगा एवं स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट करने का विकल्प होगा।		यथावत
		4– रजिस्ट्रेशन में भरे गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिन्ट विकल्प से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट कर लें।		यथावत
	(iii) आनलाइन आवेदन करनाः–	1– सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदक को छात्रवृत्ति के लिये आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।		यथावत
		2– इसके लिये निर्धारित वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर जाकर आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्धारित कालम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरें।		2– इसके लिये निर्धारित वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** पर जाकर आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्धारित कालम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरें।
		3– इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये कोड को भरकर **Submit** बटन पर क्लिक करें। प्रविष्टियां सही होने पर स्क्रीन पर आनलाइन आवेदन का प्रारूप खुल जायेगा।		यथावत
		4– इस प्रारूप में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनायें स्वतः प्रदर्शित होगी जो आवेदक द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थी, इस प्रारूप में आवेदक द्वारा वांछित कालम में सूचनायें सही–सही भरी जाय।		यथावत
		5– जिस कालम के सामने स्टार (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कालम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।		यथावत
		6– छात्र–छात्रा आवेदन फार्म में अपने नाम		6–छात्र–छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित नाम एवं जन्म तिथि

		के बैंक खाते का ही विवरण भरेगा जो उसके माता–पिता/अभिभावक की संरक्षकता में बैंक में खोला गया हो। किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता फीड करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।		के अनुरूप ही आधार कार्ड बनवाया जायेगा व तद्नुसार आवेदन फार्म में स्वयं के आधार लिंक बैंक खाते का ही विवरण भरा जायेगा। छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बैंक खाते में ही धनराशि का अंतरण होगा।
		7– इस प्रकार आवेदन में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरान्त **Submit** बटन पर क्लिक करें। इसके उपरान्त अपने भरे हुये आवेदन का एक प्रिन्ट–आउट निकालें जिसके लिये स्क्रीन पर दिये गये बटन ? पर क्लिक करें। प्रिन्ट किये गये आवेदन को भली भांति जांच लें, यदि समस्त प्रविष्टि सही हैं तो पुनः होम–पेज पर अपने "फोटो अपलोड करें" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म–तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक टाइप करें।		यथावत
		8– इसके बाद स्क्रीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 **KB** की एक फोटो, जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हों, स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो **JPEG** तथा **JPG Format** में होनी चाहिये तथा फोटो साइट 20 **KB** से अधिक की नहीं होनी चाहिये।		यथावत
		9– फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये **Browse Option** से अपने फोटो को **Select** करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना फोटो देखें, विकल्प पर क्लिक करें, जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो **Lock and Final Save** बटन पर क्लिक करें।		यथावत
		10– **Final and Save Lock** करना अनिवार्य होगा, अन्यथा फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं स्वतः निरस्त हो जायेगा।		यथावत
	शासनादेश संख्या–101/2021 7/आर–1614/2 6–3–2017–4(358)/07 टी0सी0–**III** दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	11–छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट **https://scholarship.up.nic.in** के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लाक किया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डाटा लाक किये जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		11–शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लाक किया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डाटा लाक किये जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
	(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट	इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट–आउट निकाल लें एवं इस		इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट–आउट निकाल लें एवं इस प्रिन्ट–आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे– आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान

	आउट प्राप्त करना	प्रिन्ट–आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे– आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक की कापी जिस पर खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0 कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन **Submit** करने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।		पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन **Submit** करने के उपरान्त समय–सारिणी में निर्धारित कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।
	(v) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना–	1– संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट–आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।		यथावत
		2– निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये "आवेदन की स्थिति जाने" को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।		यथावत
	(vi) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर **SMS** प्रदान करना–	छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर **SMS** की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी :– 1– आवेदन पत्र आनलाइन **Submit** करने पर। 2– शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करने पर। 3– छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत करने पर। 4–बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।		छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर **SMS** की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी :– 1– आवेदन पत्र आनलाइन **Submit** करने पर। 2– शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित/अग्रसारित/ निरस्त करने पर। 3– फीशिप कार्ड जनरेट होने पर (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्था हेतु) 4– छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डाटा लाक/स्वीकृत/निरस्त करने पर। 5– आधार लिंक बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।
	(vii) छात्र/छात्राओं द्वारा अधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना शासनादेश संख्या–148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07 टी0सी0–**III** दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में सही आधार कार्ड नम्बर अंकित करना होगा। फर्जी आधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन को अग्रसारित नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत आधार नम्बर का प्रयोग छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया जाता है तथा शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाता है तो इस अनियमितता के लिए शिक्षण संस्था व छात्र दोनों उत्तरदायी होंगे। इस दशा में छात्र का अभ्यर्थन/आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त कार्य के क्रियान्वयन एवं आधार नम्बर के सत्यापन हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (**UIDAI**) से अनुबन्ध किया जायेगा।		प्रत्येक छात्र/छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण–पत्र पर अंकित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र का आधार नम्बर से जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 से आवेदन पूर्ण करने हेतु प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
	16 (1) शिक्षण संस्थान के दायित्व	(i)- शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।		(i)- शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए अलग–अलग नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नामित नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर उसी शिक्षण संस्था के लिए मान्य होगा।
		(ii)- शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से निर्धारित अवधि में लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।		यथावत

		(iii)- शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर अपडेट करना होगा।		(iii)- शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** पर अपडेट करना होगा।
		(iv)- शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विवरण को अपडेट करना होगा।		यथावत
		(v)- संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट–आउट की फोटोकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। संस्था अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।		यथावत
		(vi)- संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट–आउट समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा किया गया है।		यथावत
		(vii)- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट–"ग" के अनुसार संलग्नक नत्थी किये गये हैं, चेक कर लिया जाय।		यथावत
		(viii)- आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा। उसी प्राप्ति रसीद पर जमा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर कर अपनी संस्था की मुहर लगाकर आवेदक को रसीद दे देगा। आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदक ने प्रस्तुत की हैं, उसे संस्थान द्वारा **(√)** किया जायेगा।		यथावत
		(ix)- शिक्षण संस्था को अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट–आउट पर स्कैन फोटो को सत्यापित करना होगा।		यथावत
		(x)- संस्थान उपरोक्त अभिलेखों के प्राप्ति के पश्चात छात्र/छात्रा के आनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगें।		यथावत
		(xi)- अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद 07 कार्य–दिवस के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट–आउट जमा किया जायेगा।		(xi)- अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद समय–सारिणी में निर्धारित कार्य–दिवस के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट–आउट जमा किया जायेगा।
		(xii)- आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये शासन द्वारा निर्धारित तिथि के बाद 07 कार्य–दिवस के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा। तत्पश्चात 07 कार्य–दिवस के अन्दर ही प्रत्येक दशा में शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।		(xii)- आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये शासन द्वारा जारी समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा एवं शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त, सत्यापित एवं अग्रसारित करना होगा।
		(xiii)- आनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगें। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के		(xiii)- आनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगें। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगें, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।

		आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगें, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।		
		(xiv)- शिक्षण संस्था छात्र/छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न बैंक पासबुक की छाया प्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण यथा–नाम, खाता संख्या व आई0एफ0एस0 कोड का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगें।		(xiv)- शिक्षण संस्था छात्र/छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न सभी विवरण का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगें।
		(xv)- अभ्यर्थियों के आनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का आनलाइन सत्यापन कर **Submit** का बटन क्लिक करेंगें तथा सत्यापित आवेदन पत्रों का अग्रसारित **(Forward)** कर देगें।		(xv)- अभ्यर्थियों के आनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का आनलाइन सत्यापन कर **Submit** का बटन क्लिक करेंगें तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को निर्धारित सूचना अंकित कर अग्रसारित **(Forward)** कर देगें।
		(xvi)- जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से **reject** कर देगें। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।		(xvi)- जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/ अपूर्ण/गलत तथा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अपात्र होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा अग्रेसित नहीं किया जायेगा, संस्था उसको अपने स्तर से **reject** कर देगी। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा किसी भी छात्र का डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।
		(xvii)- संस्थान द्वारा आवेदन पत्र सत्यापित होने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर पर **SMS** द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी।		यथावत
		(xviii)- संस्थान का यह दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व संस्थान यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भर दिये गये हैं।		यथावत
		(xix)- सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना–संचार माध्यमों यथा– **Public address System, Faculty members** द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल आदि के माध्यम से अवगत करायेगें।		यथावत
		(xx)-डाटा के सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। इसलिये संस्थान पर प्राप्त आवेदन पत्रों का लगातार सत्यापन करते रहेंगें एवं समस्त आवेदन पत्रों को अन्तिम तिथि से पूर्व अग्रसारित करने अथवा रिजेक्ट करने का निर्णय लेकर आनलाइन कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।		यथावत
		(xxi)- छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बधिंत शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।		यथावत
		(xxii)- नोडल अधिकारी या शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित		यथावत

		प्रक्रियानुसार छात्र के विवरण को स्वयं आनलाइन सत्यापित व अग्रसारित किया जोयगा।		
		(xxiii)- जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये अभिलेखों से नहीं होता है अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु रिजेक्ट कर दिया जायेगा।		यथावत
		(xxiv)- शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्ट–आउट समस्त संलग्नकों सहित (परिशिष्ट–छ) के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।		यथावत
		(xxv)- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई लखनऊ द्वारा विकसित **Search students Detail** से छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमांक के आधार पर सत्यापन हेतु छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये विकल्प से प्रत्येक छात्र का सत्यापन करने के उपरान्त सही पाये गये छात्र का ही डाटा संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा।		यथावत
		(xxvi)- शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र अध्ययनरत छात्र अगले वर्ष नवीनीकरण का ही फार्म भरें एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म सत्यापित एवं अग्रसारित करेगा। नये छात्र (पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, को छोड़कर) के रूप में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।		यथावत
		(xxvii)- कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन फार्म भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा।		यथावत
		(xxviii)- शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन अंकित किया जायेगा यथा–छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि।		यथावत
	शासनादेश संख्या–222/2019 /4138/26–3–2 019–4(358)/07 टी0सी0–**III** दिनांक 14	(**xxix**)- संस्था द्वारा छात्र के आधार नम्बर एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।		संस्था द्वारा छात्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्त अंकों/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने का अनिवार्य रूप से अंकन/सत्यापन करने के उपरांत आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर छात्र की बायोमैट्रिक उपस्थिति को प्रत्येक माह संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड भी करना होगा।

	अक्टूबर, 2019 (नवम संशोधन) द्वारा संशोधित			
	जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व	(i)- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करना।		(i)- शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये मास्टर डाटा से सम्बन्धित अभिलेख, छात्रों की सूची, छात्रों के आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं समस्त संलग्नकों को पी0डी0एफ0 फाइल की साफ्ट कापी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
		(ii)- यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है।		यथावत
		(iii)- शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली लाक कर दिया गया है।		(iii)- शिक्षाधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली लाक कर दिया गया है।
		(iv)- अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना/कराना।		यथावत
		(v)- अभ्यर्थियों के नाम के बैंक खातों एवं बैंक शाखाओं के आई0एफ0एस0 कोड (**IFSC**) का रेण्डमली मिलान आनलाइन डाटा सत्यापन से पूर्व कराना।		यथावत
		(vi)- अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।		यथावत
		(vii)- सक्षम एजेन्सी से डिजीटल सिग्नेचर **(Digital Signature)** प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।		यथावत
		(viii)- आनलाइन डाटा फीडिंग की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों को बैठक में बुलाकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।		यथावत
		(ix)- छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरूद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।		यथावत
	शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–**III**	(x)- बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का **reconcilation** कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में वित्त नियंत्रक/सम्परीक्षाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।		यथावत

	दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित			
		(xi)- जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत करना।		यथावत
		(xii)- उक्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त भेजने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।		यथावत
	शासनादेश संख्या–222/2019/4138/26–3–2019–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 (नवम संशोधन) द्वारा संशोधित	(xiii)- जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ–साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लाक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।		यथावत
16	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	(i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	यथावत
		(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजीटली सिग्नेचर से लाक किया जाना।		(ii) शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजीटली सिग्नेचर से लाक किया जाना।
		(iii) शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।		(iii) शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापनोपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
		(iv) शिक्षण संस्था द्वारा मिसिंग छात्रों के संबंध में आनलाइन अंकित किये गये कारणों के आधार पर संबंधित शिक्षण संस्थाओं की रैण्डम जांच कराना तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित शिक्षण संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।		यथावत
	शिक्षा विभागों के विभागाध्यक्ष का दायित्व			1–विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा शिक्षण संस्थाओं के मास्टर डाटा, फीस, सीट आदि लॉक/सत्यापन के उपरांत पाठ्यक्रमों के सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षण/सत्यापन के उपरांत डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करते हुए संस्तुत किया जायेगा। संस्तुति के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। 2–मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की नियंत्रक बॉडी प्रदेश के अन्दर न होकर स्वयं स्वायतशासी संस्थान है, उनमें अपना मास्टर डाटा, फीस, सीट आदि स्वयं सत्यापित/लॉक करने के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित/लॉक किया जायेगा। 3–भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के

				शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों आदि का डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से सत्यापन एवं विभागाध्यक्ष, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संस्तुत प्राप्त संस्थानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व	(i) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना।		यथावत
	शासनादेश संख्या–222/2019/4138/26–3–2019–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 (नवम संशोधन) द्वारा संशोधित	(ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिए लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।		यथावत
		(iii) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे।		(iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ एवं निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
		(iv) जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आई0डी0, पासवर्ड एवं डिजीटल सिग्नेचर एन0आई0सी0 या अन्य अधिकृत संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवाना।		यथावत
		(v) आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन प्रकाशित करना।		यथावत
		(vi) राज्य स्तर पर स्क्रूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।		(vi) राज्य स्तर पर आय, जाति, आधार नम्बर, बोर्ड रोल नम्बर व वर्ष, परीक्षाफल आदि के लाइव चेक करने की व्यवस्था करना तथा स्क्रूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
		(vii) आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना।		यथावत
				(viii) पी0एफ0एम0एस0 के आधार लिंक बैंक खातों तथा अन्य बैंक खातों का सत्यापन आदि की कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण कराना।
	विश्वविद्यालय/परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व	(i) सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे।		(i) सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे।
		(ii) नोडल अधिकारी सम्बन्धित अधिकृत संस्था से आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे।		यथावत
		(iii) नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा में संस्था से सम्बन्धित विवरण का सत्यापन कर डाटा लाक करेंगे।		यथावत
		(iv) सभी विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को **XML Format** पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।		यथावत
		(v) छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को विश्वविद्यालय/		यथावत

		परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक भी किया जायेगा।		
		(vi) विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्राप्तांक का मिलान स्कूटनी के समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।		यथावत
		(vii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण कमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण कमांक भरना अनिवार्य होगा।		यथावत
		(viii) विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यकम, कोर्स का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित), स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।		यथावत
		(ix) सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एक्सेल सीट में स्कूटनी आदि के समय उपयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।		यथावत
		(x) जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/ मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।		यथावत
17	जनपद स्तर पर अनुश्रवण।	(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:– (1)जिलाधिकारी– अध्यक्ष (2) मुख्य विकास अधिकारी– उपाध्यक्ष (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी–सदस्य (4)जनपद में स्थित रा0 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो –सदस्य (5) जनपद में स्थित रा0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो–सदस्य (6) जनपद में स्थित रा0 इंजी0 कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो– सदस्य (7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो–सदस्य (8) जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य (9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)– सदस्य (10) जिला समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य/सचिव	जनपद स्तर पर अनुश्रवण।	यथावत
		(ii) उक्त समिति अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यकमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन		यथावत

		करायेगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।		
		(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत–प्रतिशत सत्यापन करायेगी – क– पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें। ख– जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रूपये या उससे अधिक हो। ग– उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रैंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।		यथावत
		(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिये आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।		(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिये आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी जिलाधिकारी के समक्ष की गयी अपील में अर्ह पाया जाता है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष के बजट से शासन की अनुमति प्राप्त कर निर्धारित प्रकिया के अनुसार अभ्यर्थी के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा।
		(v) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित करायी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रैण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रैण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण		यथावत

		संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेगें और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम–15 (II) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।		
		(vi) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सृजित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, बुक कीपिंग, रिकार्ड कीपिंग वितरित की गयी अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।		(vi) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सृजित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, बुक कीपिंग, रिकार्ड कीपिंग वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/ महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।
18	प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की वितरण प्रक्रिया। शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–III दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:– (i) (1)– प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रकिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी। (2)– छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही–सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट "घ" के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "छ" के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी। (3)– छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुये परिशिष्ट "ज" के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा। (4)– शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा		अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:– (i) (1)– प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रकिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी। (2)– छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही–सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट "घ" के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "छ" के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी। (3)– छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुये परिशिष्ट "ज" के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा। (4)– शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा– यू0पी0टी0यू0, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0, एन0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0, विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर डुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा पृथक–पृथक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा। 5– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी।

		एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/ विभागों यथा–यू0पी0टी0यू0, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जी0सी0, एन0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0, विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर डुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा पृथक–पृथक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा। 5– जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/ छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी। 6– जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। 7– जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 8– जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 9– तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई–पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार		6– जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। 7– जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 8– जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 9– तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा कोषागार/बैंक से **PFMS (Public Financial Management System)** प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकियानुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा। 10– छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा। 11– अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रकिया, वरीयता कम निर्धारण, **PFMS** प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रकिया, फेल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रकिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रकिया के अनुसार ही रहेगी।

		छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 10– छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा। 11– अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रकिया, वरीयता क्रम निर्धारण, **PFMS** प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रकिया, फेल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रकिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रकिया के अनुसार ही रहेगी।		
		(**iii**) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी एवं साफ्टकापी (डीवीडी)/हार्डडिस्क में नियमावली के नियम–12 (**v**) में वर्णित व्यवस्थानुसार 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।		(**ii**) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी एवं साफ्टकापी (डीवीडी)/ हार्डडिस्क में नियमावली के नियम–12 (**v**) में वर्णित व्यवस्थानुसार उनके द्वारा 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।
19	संशोधन का अधिकार	(**i**) इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।		यथावत
20	न्यायालय परिक्षेत्र	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।		यथावत
20 (**i**)	शासनादेश संख्या–101/2017 /आर–1614/26 –3–2017–4(358) /07 टी0सी0–**III** दिनांक 23 जून, 2017 (षष्टम संशोधन) द्वारा संशोधित	नियम–20 (**i**) (क) मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय/मा0 राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्री समाज कल्याण/मुख्य सचिव/ मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऐसे प्रकरणों पर शासन स्तर पर विचार हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:– 1– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण– अध्यक्ष 2–प्रमुख सचिव, वित्त अथवा नामित प्रतिनिधि– सदस्य 3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0– सदस्य 4–निदेशालय द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य/सचिव। 5– छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल, (मुख्यालय)–		विलोपित

		सदस्य नियमावली में अंकित प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्रों के प्रकरण पर उक्त समिति विचार करेगी एवं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने अथवा न देने के संबंध में सकारण लिखित आदेश पारित करेगी। धनराशि भुगतान किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के उपरान्त मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट से धनराशि व्यय की अनुमति प्रदान की जायेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।		
20 (ii)	शासनादेश संख्या–148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07 टी0सी0–III दिनांक 26 जून, 2018 (सप्तम संशोधन) द्वारा संशोधित	20– **(ii)** (क) निदेशालय समाज कल्याण/राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल मुख्यालय को स्टेट ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ख)– मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ग)– जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है।		20– **(ii)** (क) निदेशालय समाज कल्याण/ राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति, मुख्यालय (संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ख)– मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है। (ग)– जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफीसर नामित किया जाता है।

2– उक्त संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली वर्ष 2021–22 से लागू होगी।

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव

पृ0सं0–108/2021/2499 (1)/26–3–2021 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0 शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ।
4– निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।